

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है कि इन दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती परतुत लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
खाते का नाम	खाते संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
राजेश्वरी प्रसाद	8	राजेश्वरी प्रसाद	208,	282	राजेश्वरी प्रसाद	208	282
जाकिर		जाकिर	249		जाकिर	249	
		यासु अहिर	273		यासु अहिर	273	
		इंद्राज	375		इंद्राज	375	

क्रमांक :- 369  
20/10/21  
 दिनांक :-

**शिबिर प्रभारी**  
 (अति. जिला कलेक्टर, जी.बाना)  
 (अति. जिला कलेक्टर, जी.बाना)  
 PGKSA-2021, प.स. जी.बाना  
 दिनांक :-

उप तहसीलदार, लौलार

**शिबिर प्रभारी**  
 (अति. जिला कलेक्टर, जी.बाना)  
 (अति. जिला कलेक्टर, जी.बाना)  
 PGKSA-2021, प.स. जी.बाना  
 दिनांक :-

क्रमांक :-  
 दिनांक :-

उक्त दुरस्ती को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्यातकृत

उप तहसीलदार, लौलार